R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड VII ◆ अंक 11
मई 2011

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

माइक्रो वित्त संस्थाओं के लिए बैंक ऋण हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र स्थिति

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2011 को अथवा उसके बाद व्यक्तियों को तथा स्व-सहायता समूहों (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के सदस्यों को भी दिए जानेवाले ऋण हेतु माइक्रो वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) को प्रदान किए गए बैंक ऋण के संबंधित श्रेणियों अर्थात् कृषि, माइक्रो और लघु उद्यम तथा अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में माइक्रो ऋण (अन्य प्रयोजन हेतु) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे बशर्ते माइक्रो वित्त संस्थाओं की कुल आस्तियों (नकदी, बैंकों और वित्त संस्थाओं के पास शेष, सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों को छोड़कर) का 85 प्रतिशत तक "अर्हक आस्तियों" के स्वरूप में हैं। इसके अतिरिक्त आय उत्पादक गतिविधियों के लिए प्रदान की गई ऋण की सकल राशि माइक्रो वित्त संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए कुल ऋण के 75 प्रतिशत से कम नहीं हो।

किसी "अर्हक आस्ति" का मतलब किसी माइक्रो वित्त संस्था द्वारा वितरित कोई ऋण है जो निम्नलिखित मानदण्डों का पालन करता है:

(i) उस उधारकर्ता को ऋण प्रदान किया जाता है जिसकी ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक वार्षिक आय 60,000 रु. से अधिक नहीं है जबकि गैर-ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह 1,20,000 रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) प्रथम चक्र में ऋण 35,000 रु. तथा बाद के चक्रों में 50,000 रु. से अधिक न हो।

(iii) जब ऋण राशि 15,000 रु. से अधिक हो तो उधारकर्ता को बिना दण्ड के पूर्व चुकौती के अधिकार के साथ ऋण की अवधि 24 महीनों से कम नहीं होनी चाहिए।

(iv) ऋण बिना संपार्श्विकता के हो।

(v) उधारकर्ता के विकल्प के अनुसार ऋण साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक किस्त में चुकौती योग्य होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उन ऋणों को वर्गीकरण का पात्र बनने के लिए बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि माइक्रो वित्त संस्थाएँ मार्जिन और ब्याज दर के साथ निम्न प्रकार अन्य 'मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देशों' पर भी उच्चतम सीमा का पालन करती हैं:

(क) सभी माइक्रो वित्त संस्थाओं के लिए मार्जिन की उच्चतम सीमा 12 प्रतिशत होगी। ब्याज लागत की गणना बकाया उधारों के औसत पाक्षिक शेषों पर की जाए तथा ब्याज आय की गणना अर्हक आस्तियों की बकाया ऋण पोर्टफोलियो के औसत पाक्षिक शेषों पर की जाए।

(ख) वैयक्तिक ऋणों पर 26 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर की उच्चतम सीमा की गणना घटते हुए शेष आधार पर की जाए।

(ग) ऋणों के मूल्यांकन में केवल तीन घटक उदाहरणार्थ (i) सकल ऋण राशि के एक प्रतिशत तक संसाधन शुल्क; (ii) ब्याज प्रभार; और (ग) बीमा प्रीमियम को शामिल किया जाए।

(घ) संसाधन शुल्क को 26 प्रतिशत की उच्चतम मार्जिन सीमा अथवा उच्चतम ब्याज सीमा में शामिल नहीं किया जाए।

(ङ) केवल बीमा की वास्तविक लागत अर्थात् उधारकर्ता अथवा उसके पति/पत्नी हेतु जीवन, स्वास्थ्य और पशुधन के लिए समूह बीमा की वास्तविक लागत की वसूली की जा सकती है; बीमा विनियामक और विकास प्राधिकार (आइआरडीए) दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासनिक प्रभारों की वसूली की जा सकती है।

(च) देरी से भुगतान के लिए कोई दण्ड प्रभारित न किया जाए।

(ज) कोई जमानती जमाराशि/मार्जिन न ली जाए।

प्रत्येक तिमाही के अंत में बैंक माइक्रो वित्त संस्था से सनदी लेखाकार का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया हो कि (i) माइक्रो वित्त संस्था की कुल आस्तियों का 85 प्रतिशत "अर्हक आस्ति" के स्वरूप में है; (ii) आय उत्पादक गतिविधि के लिए प्रदान की गई ऋण की सकल राशि माइक्रो वित्त संस्था द्वारा दिए गए कुल ऋण के 75 प्रतिशत से कम नहीं है; और (iii) मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

विषय सूची

पृष्ठ

नीति

माइक्रो वित्त संस्थाओं के लिए बैंक ऋण हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र स्थिति 1
अनर्जक आस्तियों - पुनर्रचित अग्रिमों के लिए बढ़े हुए प्रावधानीकरण 2
अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर) 2
ब्याज दरें बढ़ाई गईं 2
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण सीमा बढ़ाई गई 3
विनियामक और लेखा परीक्षा अनुपालन 3
सीमांत स्थायी सुविधा -योजना 3

भुगतान प्रणाली

अर्द्ध बन्द एम-वैलेट का निर्गम और परिचालन 4
भारत में मोबाइल बैंकिंग लेन-देन 4

सहकारी बैंकिंग

आवास/भू संपदा/वाणिज्यिक भू संपदा में निवेश 4

फेमा

कच्चे/कटे हुए/पॉलिश किए हुए हीरों का आयात 4
कारोबारी प्रयोजनों के लिए शेयरों को गिरवी रखना 4

(i) माइक्रो वित्त संस्थाओं द्वारा सृजित प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों के निवेश; और (ii) बैंक की बहियों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के रूप में माइक्रो वित्त संस्थाओं के ऋण पोर्टफोलियो की सीधी खरीद के वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश उचित समय पर जारी किए जाएँगे। इस बीच नई आस्तियाँ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कारोबार के लिए तभी अर्हक होंगी यदि वे अर्हक आस्तियों के मानदंड को पूरा करती हैं और ऊपर यथानिर्दिष्ट मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैं।

उन माइक्रो वित्त संस्थाओं के लिए बैंक ऋण जो उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करती हैं तथा अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफसी) के लिए बैंक ऋण की 1 अप्रैल 2011 से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण के रूप में गणना नहीं की जाएगी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत, 1 अप्रैल 2011 से पहले प्रदान किए गए बैंक ऋण की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उनके परिपक्व होने तक गणना की जाएगी।

अनर्जक आस्तियों/पुनर्रचित अग्रिमों के लिए बढ़े हुए प्रावधानीकरण

कतिपय श्रेणियों के अनर्जक अग्रिमों तथा पुनर्रचित अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाएं बढ़ाई गई हैं। बढ़ी हुई दरें इस प्रकार हैं -

- एक वर्ष तक "संदिग्ध" श्रेणी में पड़े हुए अग्रिमों के जमानती हिस्से पर 25 प्रतिशत का प्रावधान लागू होगा (मौजूदा 20 प्रतिशत के बदले);
- एक वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष से कम समय तक "संदिग्ध" श्रेणी में पड़े हुए अग्रिमों के जमानती हिस्से पर 40 प्रतिशत का प्रावधान लागू होगा (मौजूदा 30 प्रतिशत के बदले); तथा
- मानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों पर खातों की पुनर्रचना की तारीख से पहले दो वर्ष तक 2 प्रतिशत का प्रावधान लागू होगा। पुनर्रचना के बाद ब्याज/मूलधन के भुगतान पर अधिस्थगन के मामलों में ऐसे अग्रिमों पर अधिस्थगन अवधि के दौरान तथा उनके बाद दो वर्ष तक 2 का प्रतिशत प्रावधान लागू होगा (मौजूदा 0.25-1.00 प्रतिशत प्रावधान के बदले, जो अग्रिमों की श्रेणी पर आधारित होगा); और
- अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों का दर्जा बढ़ाकर जब उन्हें मानक श्रेणी में डाल दिया जाता है तो उन पर मानक श्रेणी के दर्जे में प्रवेश करने की तारीख से पहले वर्ष के दौरान 2 का प्रतिशत प्रावधान लागू होगा (मौजूदा 0.25-1.00 के प्रतिशत प्रावधान के बदले, जो अग्रिमों की श्रेणी पर आधारित होगा)।

अवमानक अग्रिम

"अवमानक" के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर मौजूदा 10 प्रतिशत के बदले 15 प्रतिशत का प्रावधान लागू होगा। अवमानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत "गैर-जमानती एक्सपोज़र" पर 10 का प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान लागू होगा अर्थात् मौजूदा 20 प्रतिशत के बदले कुल 25 का प्रतिशत प्रावधान लागू होगा। तथापि, अवमानक के रूप में वर्गीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों के संबंध में ऐसे "गैर-जमानती एक्सपोज़र" पर केवल 5 का प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान अर्थात् मौजूदा 15 प्रतिशत के बदले कुल 20 का प्रतिशत प्रावधान लागू होगा जिनके मामले में 23 अप्रैल 2010 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अंतर्गत निलंब खातों (एस्क्रो अकाउंट) जैसी कुछ सुरक्षाओं का उल्लेख किया गया है।

संदिग्ध अग्रिम

संदिग्ध अग्रिमों का 100 प्रतिशत प्रावधानीकरण उस सीमा तक जारी रहेगा जिस सीमा तक उनके मूल्यह्रास की भरपाई उस जमानत के वसूली योग्य मूल्य से न की जा सकती हो जिसका अवलंब बैंक वैधानिक रूप से ले सकता है और जमानत के वसूली योग्य मूल्य का आकलन वास्तविक आधार पर किया गया हो। तथापि, अग्रिमों के जमानती हिस्से के संबंध में प्रावधानीकरण की निम्नलिखित अपेक्षाएं लागू होंगी :

- एक वर्ष तक "संदिग्ध" श्रेणी में पड़े हुए अग्रिमों के जमानती हिस्से पर 25 का प्रतिशत प्रावधान लागू होगा (मौजूदा 20 प्रतिशत के बदले);
- एक वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष से कम समय तक "संदिग्ध" श्रेणी में पड़े हुए अग्रिमों के जमानती हिस्से पर 40 का प्रतिशत प्रावधान लागू होगा (मौजूदा 30 प्रतिशत के बदले); तथा
- 3 वर्ष से अधिक समय तक "संदिग्ध" श्रेणी में पड़े हुए अग्रिमों के जमानती हिस्से पर 100 का प्रतिशत प्रावधान लागू होगा।

पुनर्रचित अग्रिम

(i) मानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों पर खातों की पुनर्रचना की तारीख से पहले दो वर्ष तक 2 का प्रतिशत प्रावधान लागू होगा। पुनर्रचना के बाद ब्याज/मूलधन के भुगतान पर अधिस्थगन के मामलों में ऐसे अग्रिमों पर अधिस्थगन अवधि के दौरान तथा उनके बाद दो वर्ष तक 2 का प्रतिशत प्रावधान लागू होगा (मौजूदा 0.25-1.00 प्रतिशत के प्रावधान के बदले, जो अग्रिमों की श्रेणी पर आधारित होगा); और

(ii) अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों का दर्जा बढ़ाकर जब उन्हें मानक श्रेणी में डाल दिया जाता है तो उन पर मानक श्रेणी के दर्जे में प्रवेश करने की तारीख से पहले वर्ष के दौरान 2 का प्रतिशत प्रावधान लागू होगा (मौजूदा 0.25-1.00 प्रतिशत के प्रावधान के बदले, जो अग्रिमों की श्रेणी पर आधारित होगा)।

अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात

जब तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) द्वारा वर्तमान में विकसित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा अन्य प्रावधानीकरण मानदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण की एक अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विधि लागू न कर दे, तब तक के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि :

- 70 प्रतिशत प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर) 30 सितंबर 2010 की स्थिति के अनुसार बैंकों में सकल अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में होना चाहिए;
- विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधान की तुलना में प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात के अंतर्गत किए गए अधिशेष प्रावधान को एक "प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण बफर" नामक खाते में अलग से रखा जाना चाहिए जिसकी गणना संलग्न प्रारूप के अनुसार की जानी चाहिए; तथा
- बैंकों को यह अनुमति दी जाएगी कि वे प्रणाली व्यापी मंदी की अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से इस बफर का उपयोग अनर्जक आस्तियों के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधान करने में कर सकते हैं।

वे बैंक जिनके लिए 70 प्रतिशत प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात का लक्ष्य हासिल करने की निर्धारित तिथि यानी 30 सितंबर 2010 की समय सीमा आगे बढ़ा दी गई थी, उन्हें 70 प्रतिशत प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात के लिए अपेक्षित प्रावधानों की गणना 30 सितंबर 2010 की स्थिति के अनुसार करनी चाहिए और उनमें हुई कमी की गणना भी करनी चाहिए। इस कमी को यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए और यदि इन बैंकों को बफर पूरा करने के लिए 31 मार्च 2011 से आगे भी समय चाहिए तो उन्हें अपेक्षित समय की गणना कर भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त जैसा कि अब तक किया जाता रहा है, प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात का प्रकटीकरण तुलन पत्र के लेखे पर टिप्पणी के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

ब्याज दरें बढ़ाई गईं

बचत जमा राशि

घरेलू और सामान्य अनिवासी बचत जमा राशियों के साथ-साथ अनिवासी (बाह्य) खाता योजना के अंतर्गत बचत जमा राशियों पर ब्याज

दरों में 0.5 प्रतिशत बिन्दुओं की बढ़ोतरी करते हुए 3 मई 2011 से 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत किया गया है।

रिपो और प्रत्यावर्तनीय रिपो दरें

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर में 50 आधार बिन्दुओं की बढ़ोतरी करते हुए उसे 6.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.25 प्रतिशत किया गया है। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर, जो कि रिपो दर से 100 आधार बिन्दुओं के स्प्रेड से कम पर निर्धारित है, 3 मई 2011 से 6.25 प्रतिशत होगी।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण सीमा बढ़ाई गई

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र आवास ऋणों की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। बढ़ी हुई सीमा बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को मंजूर किए गए ऋणों को छोड़कर प्रति परिवार मकान की खरीद/निर्माण के लिए 1 अप्रैल 2011 को अथवा उसके बाद स्वीकृत आवास ऋणों पर लागू होगी।

विनियामक और लेखा परीक्षा अनुपालन

रिज़र्व बैंक ने भारत में परिचालनरत सभी विदेशी बैंकों को सूचित किया है कि भारत में सभी परिचालनों के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी विनियामक और सांविधिक अनुपालनों के साथ-साथ लेखा परीक्षा प्रक्रिया और उसके अनुपालन में चूक के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

यह पाया गया है कि मूल बैंक की शाखाओं के रूप में भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के परिचालन के लिए सामान्यतः अपने अनुपालनों के लिए जाँच और निरीक्षण/लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा के दायित्व के निहित अधिकार के साथ अलग से कोई समिति नहीं है।

सीमांत स्थायी सुविधा -योजना

एक नई सीमांत स्थायी सुविधा 9 मई 2011 से लागू की गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

पात्रता

रिज़र्व बैंक, मुंबई के पास चालू खाता और एसजीएल खाता रखने वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इस एमएसएफ योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

अवधि एवं राशि

इस सुविधा के अंतर्गत पात्र संस्थाएँ अगले दूसरे पखवाड़े की समाप्ति पर अपनी संबंधित निवल माँग और मीयादी देयता (एनडीटीएल) बकाए के एक प्रतिशत तक ओवरनाइट राशि प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन बीच में आनेवाली छुट्टियों के लिए एमएसएफ सुविधा शुक्रवार को छोड़कर एक दिन के लिए होगी जब अगले कार्यदिवस को परिपक्व होने वाली सुविधा तीन अथवा इससे अधिक दिलों के लिए होगी। यदि बैंकों की एसएलआर धारिता उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं की एक प्रतिशत की सांविधिक अपेक्षा से कम हो जाती है तो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 की उप धारा (2ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार इस सुविधा के उपयोग से उत्पन्न चूक के लिए बैंक विशिष्ट माफी की माँग करने के लिए हकदार नहीं होंगे।

समय सारणी

शनिवार को छोड़कर यह सुविधा मुंबई में प्रत्येक कार्य दिवस को अपराह्न 3.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे के बीच उपलब्ध होगी।

ब्याज की दर

इस सुविधा के अंतर्गत उपभोग की गई राशि पर ब्याज की दर चलनिधि समायोजन सुविधा रिपो दर से 100 आधार बिन्दु अधिक अथवा समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित दर होगी।

रिज़र्व बैंक का विवेकाधिकार

रिज़र्व बैंक को यह अधिकार है कि वह इस सुविधा के अंतर्गत निधियों के लिए अनुरोध को अंशतः अथवा पूर्णतःस्वीकार अथवा अस्वीकार कर दे।

परिचालन

(i) अनुरोध इलेक्ट्रॉनिक रूप से तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) में स्वीकार किए जाएँगे। किसी विशेष दिन को वास्तविक प्रणाली समस्या का सामना करने वाले पात्र सदस्य भौतिक रूप में अपने अनुरोध प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रतिभूति अनुभाग, लोक लेखा विभाग, मुंबई को संबोधित एक मुहरबंद लिफाफे में रिज़र्व बैंक के मुंबई कार्यालय में उपलब्ध कराए गए एक बॉक्स में डालकर अपराह्न 4.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ii) तयशुदा लेन-देन प्रणाली सदस्यों द्वारा एक अथवा एक से अधिक आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की सुविधा उपलब्ध कराती है। तथापि, आवेदक यथासंभव केवल एक अनुरोध प्रस्तुत करें।

(iii) एमएसएफ का संचालन चलनिधि समायोजन सुविधा-रिपो की तरह ''धारित अभिरक्षा'' रिपो के रूप में किया जाएगा।

(iv) एमएसएफ अनुरोधों को स्वीकार किए जाने पर आवेदक के आरसी एसजीएल खाते में प्रतिभूतियों की अपेक्षित मात्रा को नामे डाला जाएगा तथा उसे बैंक के आरसी एसजीएल खाते में जमा किया जाएगा। तद्नुसार, आवेदक के चालू खाते में एमएसएफ आवेदन राशि जमा हो जाएगी। इस लेन-देन की समीक्षा दूसरे चरण में की जाएगी। यदि दूसरे चरण में कोई छुट्टी पड़ती है तो प्रत्यावर्तन की तारीख अगला कार्यदिवस होगी।

(v) रिज़र्व बैंक और काउंटरपार्टियों के बीच एमएसएफ लेन-देन के लिए जिसमें आरसी एसजीएल खाता शामिल है, अलग एसजीएल फॉर्म की अपेक्षा नहीं होगी।

(vi) ट्रेजरी बिलों सहित सभी प्रतिभूतियों का मूल्यनिर्धारण रिज़र्व बैंक द्वारा एमएसएफ परिचालनों के लिए अंकित मूल्य पर किया जाएगा। लेन-देन की तारीख को उपचित ब्याज को प्रतिभूतियों के मूल्यनिर्धारण के प्रयोजन हेतु छोड़ दिया जाएगा।

न्यूनतम अनुरोध का आकार

सभी अनुरोध एक करोड़ रुपए की न्यूनतम राशि तथा उसके बाद एक करोड़ रुपए के गुणजों में प्राप्त किए जाएँगे।

पात्र प्रतिभूतियाँ

एमएसएफ सभी एसएलआर-पात्र अंतरणीय भारत सरकार (जीओआइ) दिनांकित प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) में शुरु किया जाएगा।

मार्जिन अपेक्षा

भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों के संबंध में पाँच प्रतिशत की एक मार्जिन लागू होगी। राज्य विकास ऋणों के संबंध में 10 प्रतिशत की एक मार्जिन लागू की जाएगी। इस प्रकार 100 रुपए के अनुरोध की स्वीकृति पर प्रतिभूतियों की प्रस्तावित राशि भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों /ट्रेजरी बिलों के लिए 105 रुपए (अंकित मूल्य) अथवा राज्य विकास ऋणों के लिए 110 रुपए (अंकित मूल्य) होगी।

निपटान

एमएसएफ योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों का निपटान आवेदनों की स्वीकृति के विण्डो के बंद होने के बाद उसी दिन किया जाएगा।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने के कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चैनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

भुगतान प्रणाली

अर्द्ध बन्द एम-वैलेट का निर्गम और परिचालन

भुगतान के एक स्वरूप में मोबाइल फोन आधारित पूर्वदत्त भुगतान लिखत (एम-वैलेट) की व्यापक स्वीकृति को सुविधा प्रदान करने की जरूरत की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि अर्द्ध बन्द एम-वैलेट को इन शर्तों के अधीन अन्य अर्द्ध बन्द पूर्वदत्त लिखतों के सममूल्य पर लाया जाए कि-

- ऐसे पूर्वदत्त अर्द्ध बन्द एम-वैलेट का अधिकतम मूल्य 50,000 रुपए से अधिक न हो।
- दिनांक 27 अप्रैल 2009 के 'भारत में पूर्वदत्त भुगतान लिखत के निर्गम और परिचालन के लिए नीति दिशानिर्देश' के पैरा 6.4 में यथानिर्धारित ग्राहक उचित सावधानी के आधार पर जारी पूर्वदत्त लिखतों पर मौद्रिक सीमा ऐसे एम-वैलेटों पर लागू होगी।
- एयरटाइम/टॉक टाइम के मूल्य के बदले इन लिखतों की खरीद/रिलोडिंग की अनुमति नहीं है।
- इस सुविधा की सहायता केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए ली जाए। मूल्यों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरण की अनुमति नहीं है।
- 'भारत में पूर्वदत्त भुगतान लिखत के निर्गम और परिचालन के लिए नीति दिशानिर्देश' में निर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें ऐसे एम-वैलेटों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।

भारत में मोबाइल बैंकिंग लेन-देन

आदि से अंत तक कूटलेखन के बिना मोबाइल बैंकिंग लेन-देन की सीमा को पूर्व की 1000 रु. की सीमा से बढ़ाकर 5000 रु. कर दिया गया है। संशोधित सीमा 4 मई 2011 से लागू है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी जोखिम अवधारणाओं पर आधारित पर्याप्त सुरक्षा उपाय और गति सीमा लागू करें।

सहकारी बैंकिंग

आवास/भू संपदा/वाणिज्यिक भू संपदा में निवेश

शहरी (प्राथमिक) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अब अनुमति दी गई है कि वे व्यक्तियों को अपनी कुल आस्तियों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक आवास ऋण के लिए 15 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करें। पूर्व में नवंबर 2010 में शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे अपनी कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत तक आवास, भू संपदा और वाणिज्यिक भू संपदा को ऋण प्रदान करें तथा अपनी कुल आस्तियों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक का ऋण 10 लाख रुपए तक की लागत वाली आवासीय इकाईयों की खरीद और निर्माण के लिए प्रदान करें।

फेमा

कच्चे/कटे हुए/पॉलिश किए हुए हीरों का आयात

प्राथमिक व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को सूचित किया गया है कि कच्चे/कटे हुए/पॉलिश किए हुए हीरों के आयात के लिए खुले साख पत्रों की निर्गम अवधि सहित 'आपूर्तिकर्ता' और 'क्रेता' ऋण (व्यापार ऋण) की अवधि लदान की तारीख से 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्राथमिक व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को यह सूचित भी किया गया है कि आयात लेनदेन शुरु करते समय समुचित सावधानी बरती जाए तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानें'(केवाइसी) मानदंडों, धन-आशोधन (एएमएल) मानकों का अनुपालन किया जाए। इसके अतिरिक्त व्यापार की मात्रा में कोई बड़ी अथवा असामान्य बढ़ोतरी की सावधानी से जाँच की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेनदेन वास्तविक हैं तथा ब्याज/मुद्रा अधिनिर्णय के अभिप्राय से नहीं किए गए हैं।

कारोबारी प्रयोजनों के लिए शेयरों को गिरवी रखना

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) प्रवाहों से जुड़ी प्रक्रियाओं को और उदार बनाने, विवेकसम्मत बनाने तथा सरल बनाने एवं लेनदेन समय में कमी किए जाने की दृष्टि से प्राथमिक व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है ताकि वे निम्नलिखित मामलों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार अनिवासी निवेशक/निवेशकों द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के शेयरों को गिरवी रखने की अनुमति दे सकें:

(i) अनिवासी निवेशक द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के शेयरों को वास्तविक कारोबारी प्रयोजनों के लिए निवासी निवेशी कंपनी को प्रदान की गई ऋण सुविधाएँ सुरक्षित करने के लिए भारत में किसी भारतीय बैंक के पक्ष में इन शर्तों के अधीन गिरवी रखा जा सकता है कि-

(क) गिरवी लागू होने की स्थिति में गिरवी रखे जाते समय प्रचलित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार शेयरों का अंतरण किया जाए;

(ख) निवेशी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों से इस आशय की घोषणा/वार्षिक प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण कि ऋण की राशि का उपयोग घोषित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा/किया गया है;

(ग) भारतीय कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के संगत प्रकटन मानदंडों का पालन करना होगा; और

(घ) ऋणदाता बैंक के पक्ष में शेयरों का गिरवी रखा जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 के अनुपालन के अधीन होगा।

(ii) किसी अनिवासी निवेशक द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के शेयरों को किसी भारतीय कंपनी अथवा किसी समुद्रपारीय समूह कंपनी के किसी अनिवासी निवेशक/अनिवासी प्रवर्तक को प्रदान की गई ऋण सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए किसी समुद्रपारीय बैंक के पक्ष में इन शर्तों के अधीन गिरवी रखा जा सकता है कि-

(क) ऋण किसी एक समुद्रपारीय बैंक से लिया गया है;

(ख) ऋण का उपयोग विदेश में वास्तविक कारोबारी प्रयोजनों के लिए किया गया है तथा भारत में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी निवेश के लिए नहीं किया गया है;

(ग) समुद्रपारीय निवेश से भारत में कोई पूँजी अंतर्वाह नहीं होना चाहिए;

(घ) गिरवी लागू होने की स्थिति में गिरवी रखे जाते समय प्रचलित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार शेयरों का अंतरण किया जाए; और

(ङ) अनिवासी उधारकर्ता के सनदी लेखाकार/प्रमाणित लोक लेखाकार से इस आशय की घोषणा/वार्षिक प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण कि ऋण की राशि का उपयोग घोषित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा/किया गया है।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।